Date – 13 August 2022

स्माइल -75

- भारत सरकार ने हताशा और भीख मांगने की समस्या को दूर करने के लिए "स्माइल- आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए के व्यक्तियों के लिए समर्थन" नामक एक व्यापक योजना तैयार की है।
- स्माइल-75 पहल के तहत 75 नगर निगमों को भीख मांगने में लगे लोगों के समग्र पुनर्वास को लागू करने के लिए चिन्हित किया गया है।

स्माइल 75-पहल:

- नगर निगमों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य हितधारकों के सहयोग से सरकारी कल्याण कार्यक्रमों में भीख मांगने वाले व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें उनका पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, जागरूकता शामिल है। शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और अभिसरण पर व्यापक फोकस।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2025-26 की अवधि के लिए मुस्कान परियोजना के लिए कुल 100 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया है।
- इसके तहत भीख मांगने में लगे लोगों के समग्र पुनर्वास के लिए एक सहायता प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।

इसमें निम्नलिखित की एक उप-योजना शामिल है:

- भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास।
- नगरों/कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भीख मांगने से मुक्त करना।
- विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए एक रणनीति तैयार करना।

भारत में भीख मांगने में लगी जनसंख्या की स्थिति:

- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4,13,670 (2,21,673 पुरुष और 1,91,997 महिलाएं) है और उनकी संख्या पिछली जनगणना की तुलना में बढ़ी है।
- इसमें पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है, इसके बाद क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, लक्षद्वीप में केवल दो भिखारी हैं।
- केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली में सबसे अधिक 2,187 भिखारी थे, उसके बाद चंडीगढ़ में 121 थे।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों में असम 22,116 भिखारियों के साथ सबसे ऊपर है, जबकि मिजोरम 53 भिखारियों के साथ नीचे है।

YOJNA IAS

स्वदीप कुमार

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022

- हाल ही में अप्रैल 2022 में संसद में पारित होने के बाद आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 लागू हुआ है।
- यह एक औपनिवेशिक युग के कानून, कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की जगह लेता है, और पुलिस अधिकारियों को आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए, गिरफ्तार किए गए या मुकदमे का सामना करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए अधिकृत करता है।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022

- यह पुलिस को अपराधियों के साथ-साथ अपराधों के आरोपियों के भौतिक और जैविक नमूने लेने की कानूनी अनुमति देता है।
- पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 53 या धारा 53ए के तहत डेटा एकत्र कर सकती है।
- डेटा जो एकत्र किया जा सकता है: उंगलियों के निशान, हथेली के निशान के निशान, पैरों के निशान, तस्वीरें, आईरिस और रेटिना स्कैन, भौतिक, जैविक नमूने और उनका विश्लेषण, हस्ताक्षर, लिखावट या किसी अन्य परीक्षा सहित व्यवहार संबंधी गुण।
- आपराधिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं के संबंध में सीआरपीसी प्राथमिक कानून है।
- किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत दोषी ठहराए गए, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारी को "माप" प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भौतिक और जैविक नमूनों, हस्ताक्षर और हस्तलेखन डेटा के भंडार के रूप में कार्य करेगा जहां उन्हें कम से कम 75 वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है।

- इसका उद्देश्य अपराध में शामिल लोगों की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करना और मामलों को सुलझाने में जांच एजेंसियों की मदद करना है।

पिछले अधिनियम को बदलने की जरूरत:

- इस विधेयक का उद्देश्य 'कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920' की जगह लेना है।
- जिसमें वर्ष 1980 के दशक में भारत के विधि आयोग के 87वें प्रतिवेदन में तथा 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम बाबू मिश्रा' (1980) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में संशोधन प्रस्तावित किए गए थे।
- सिफारिशों के पहले सेट में "हथेली का निशान", "हस्ताक्षर या लेखन नमूना" और "आवाज का नमूना" शामिल करने और माप के दायरे का विस्तार करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है।
- सिफारिशों के दूसरे सेट में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत कार्रवाई के अलावा अन्य कार्यों के लिए नमूने लेने की अनुमति देने की आवश्यकता की मांग की गई है।
- विधि आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संशोधन की आवश्यकता कई राज्यों द्वारा अधिनियम में किए गए कई संशोधनों में परिलक्षित होती है।
- यह महसूस किया गया कि फोरेंसिक में प्रगति के साथ और अधिक प्रकार के "माप" की पहचान करने की आवश्यकता है जिनका उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच के लिए किया जा सकता है।

अधिनियम का महत्व:

आधुनिक तकनीक:

- अधिनियम में शरीर के उपयुक्त मापों को रिकॉर्ड करने के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग का प्रावधान है।
- मौजूदा कानून दोषी व्यक्तियों की सीमित श्रेणी के केवल 'फिंगरप्रिंट' और 'पदचिह्न' लेने की अनुमति देता है।

जांच एजेंसियों की मदद करें:

- 'व्यक्तियों' (जिनके नमूने लिए जा सकते हैं) के दायरे के विस्तार से जांच एजेंसियों को पर्याप्त कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत इकट्ठा करने और आरोपी व्यक्ति के अपराध को साबित करने में मदद मिलेगी।

परीक्षण को और अधिक कुशल बनाना:

- यह उन व्यक्तियों के शरीर से उपयुक्त नमूने लेने के लिए कानूनी स्वीकृति प्रदान करता है जिन्हें ऐसे नमूने प्रदान करने की आवश्यकता होती है और अपराध की जांच को अधिक कुशल और तेज बनाने और दोषसिद्धि दर में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी।

कानूनी मुद्दों:

निजता के अधिकार को कम करना:

- यह विधायी प्रस्ताव न केवल अपराध के दोषी व्यक्तियों के बल्कि प्रत्येक सामान्य भारतीय नागरिक के निजता के अधिकार को कमजोर करता है।
- विधेयक में राजनीतिक विरोध में शामिल प्रदर्शनकारियों के भी जैविक नमूने एकत्र करने का प्रस्ताव है।

अस्पष्ट प्रावधान:

- प्रस्तावित कानून का उद्देश्य 'कैदी पहचान अधिनियम, 1920' को प्रतिस्थापित करना है, साथ ही इसके दायरे और पहुंच का भी काफी विस्तार करना है।
- 'जैविक नमूनाकरण' जैसे शब्दों का अधिक वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए किसी भी दैहिक हस्तक्षेप जैसे रक्त और बालों के नमूने लेना या डीएनए नमूनों का संग्रह किया जा सकता है।
- वर्तमान में ऐसे हस्तक्षेपों के लिए मजिस्ट्रेट की लिखित स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

अनुच्छेद 20 का उल्लंघन:

- आशंका व्यक्त की गई है कि विधेयक ने नमूनों के मनमाने संग्रह को सक्षम किया है और इसमें अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करने की क्षमता है जो आत्म-अपराध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
- बिल जैविक जानकारी के संग्रह में बल के उपयोग को दर्शाता है, जिससे 'नार्को परीक्षण' और 'मस्तिष्क मानचित्रण' हो सकता है।

डाटा प्रबंधन:

- यह विधेयक 75 वर्षों के लिए अभिलेखों के संरक्षण की अनुमति देता है। अन्य चिंताओं में वे साधन शामिल हैं जिनके द्वारा एकत्रित डेटा को संरक्षित, साझा, प्रसारित और नष्ट किया जाएगा।
- डेटाबेस को अन्य डेटाबेस जैसे अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) के साथ जोड़ने वाले कानून के साथ, संग्रह के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर निगरानी भी हो सकती है।

- क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) की कल्पना कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन (सीआईपीए) के अनुभव से की गई है।

बंदियों में जागरूकता की कमी :

- हालांकि बिल यह प्रावधान करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति (महिला या बच्चे के खिलाफ अपराध का आरोपी नहीं) नमूने देने से मना कर सकता है, लेकिन जागरूकता के अभाव में सभी बंदी इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे।
- पुलिस के लिए इस तरह के इनकार को नज़रअंदाज करना भी मुश्किल नहीं होगा और बाद में वे दावा कर सकते हैं कि उन्होंने कैदी की सहमति से नमूने एकत्र किए|

स्वदीप कुमार

बदलते भारत-पाकिस्तान संबंध

संदर्भ क्या है ?

- शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) के सम्मलेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है।
- उज्बेकिस्तान में 15-16 सितंबर तक चलने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) के सम्मलेन में दोनों नेता शामिल हो रहे हैं। 6 वर्ष बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मिलने की संभावना है। हालांकि, नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ की यह पहली मुलाकात होगी।
- वर्ष 2015 में रूस के उफा में हुए ब्रिक्स सम्मलेन में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ एक मंच पर मिले थे।
- उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में होने वाले शंघाई सहयोग सम्मलेन में चीन, रूस और ईरान के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे।

भारत-पाकिस्तान संबंध: सामान्य पृष्ठभूमि

- भारत और पाकिस्तान में संबंध सदैव से ही ऐतिहासिक और राजनैतिक मुद्दों के कारण से तनाव में रहे हैं। इन देशों में इस संबंध को भारत के विभाजन में देखा जा सकता है। कश्मीर पर विवाद इन दोनों देशों को आज तक उलझाए हैं और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैन्य टकराव का सामना कर चुके हैं। इन देशों में तनाव मौजूद है

जबकि दोनों ही देश एक दूसरे के इतिहास, सभ्यता, भूगोल और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं।

- पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध उसके पड़ोसियों के साथ उसके संबंधों में सबसे जटिल हैं। सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में भारत की मुख्य चिंता बनी हुई है।
- भारत ने पाकिस्तान के प्रति एक सुसंगत और सैद्धांतिक नीति का पालन किया है अर्थात: अपनी "पड़ोसी पहले नीति" को ध्यान में रखते हुए, भारत आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है; भारत शिमला समझौते और लाहौर घोषणा को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है; परन्तु भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा ।
- भारत अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के सभी प्रयासों से निपटने के लिए दृढ़ और निर्णायक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

तनाव के बिंदु

आतंकवाद – पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाला आतंकवाद द्विपक्षीय संबंधों में एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने और अपने आश्वासनों को पूरा करने के लिए भारत ने लगातार पाकिस्तान को विश्वसनीय, अपरिवर्तनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

- आतंकवादी घुसपैठ की लगातार घटनाओं के कारण और उरी में सेना के शिविर पर आतंकवादी हमले के बाद 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर में, भारतीय सेना ने सीमा रेखा के पार विभिन्न आतंकवादी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की।
- फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों के वाहन पर आतंकी हमले के एक जघन्य और घृणित कार्य में, 40 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। यह आतंकवादी कृत्य प्रतिबंधित आतंकवादी मसूद अजहर के नेतृत्व में जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र और कई देशों द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित और समर्थित आतंकवादी संगठन है।
- विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी कि जैश-ए-मोहम्मद देश के विभिन्न हिस्सों में एक और आत्मघाती आतंकी हमले का प्रयास कर रहा है और इसके लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 26 फरवरी 2019 की सुबह एक खुफिया नेतृत्व वाले

ऑपरेशन में, भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर आतंकवाद विरोधी हवाई हमला किया।

- इस आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के खिलाफ, पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को अपनी वायु सेना का उपयोग करके भारतीय पक्ष में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। भारत की उच्च तत्परता और सतर्कता के कारण पाकिस्तान के प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया।

कश्मीर मुद्दा – कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच स्वतंत्रता के बाद से ही विवादस्पद रहा है। भारत प्रशासित कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने को लेकर पाकिस्तान ने भारत से राजनयिक संबंध सीमित करने और द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध निलंबित करने की घोषणा कर दी थी। इसके साथ ही इस मामले को संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में उठाने का निर्णय किया।जम्मू-कश्मीर के विवादित क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों को जनवरी, 1949 में तैनात किया गया था। पाकिस्तान संयुक्त पर्यवेक्षकों को एलओसी की निगरानी करने की अनुमति देता है, जबकि भारत इसकी अनुमति नहीं देता है।

जल विवाद-भारत-पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी में मौजूद पूरे पानी का करीब 33 मिलियन एकड़ फीट है वार्षिक भारत को दिया गया है। सिंधु जल संधि विश्व बैंक की ओर से दोनों देशों के बीच करवाई गई थी। सिंधु जल संधि दोनों देशों के बीच सबसे टिकाऊ समझौतों में से एक है और इसने द्विपक्षीय संबंधों में कई उतार-चढ़ाव का सामना किया है।

संधि भारत को तीन "पूर्वी नदियों" – ब्यास, रावी और सतलुज के पानी पर नियंत्रण देती है, जिसका औसत वार्षिक प्रवाह 33 मिलियन एकड़ फीट है, जबकि तीन "पश्चिमी नदियों" सिंधु, चिनाब और झेलम के 80 एमएएफ के औसत वार्षिक प्रवाह के साथ पाकिस्तान को पानी पर नियंत्रण है। भारत के पास सिंधु प्रणाली के कुल पानी का लगभग 20% है जबकि पाकिस्तान के पास 80% है। यह संधि भारत को सीमित सिंचाई उपयोग के लिए पश्चिमी नदी के पानी का उपयोग करने और बिजली उत्पादन, नेविगेशन, मत्स्य पालन आदि जैसे अनुप्रयोगों के लिए असीमित गैर-उपभोग्य उपयोग की अनुमति देती है। इसने पाकिस्तानी आशंकाओं को कम नहीं किया है कि भारत संभावित रूप से पाकिस्तान में बाढ़ या सूखा पैदा कर सकता है, खासकर युद्ध के समय में।

मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा- भारत 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था। 1 वर्ष बाद डब्ल्यूटीओ के सदस्य के तौर पर 1996 में भारत सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पुलवामा में

सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएनएफ) का दर्जा वापस लेने का निर्णय किया ।

सकारात्मक अवसर

व्यापार और वाणिज्य

- भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बाजार के बीच की दूरी कम है, परिवहन लागत भी अपेक्षाकृत कम आती है, दोनों तरफ मांग और आपूर्ति का समीकरण एक जैसा है, इन सब पहलुओं को देखते हुए व्यापारिक संबंधों की अधिक संभावनाएं हैं ।
- वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-मई 2022 की अवधि में पाकिस्तान को भारत का निर्यात दोगुना से अधिक हो गया। 142 मिलियन डॉलर, जो एक साल पहले इसी अवधि के दौरान 70 मिलियन डॉलर था। भारत पाकिस्तान को फार्मास्युटिकल उत्पादों, जैव रसायनों, चीनी, कॉफ़ी,चाय,मशाले, खनिज ईंधन (कोयला, पैट्रोल,नेचुरल गैस) आदि का निर्यात करता है।

करतारपुर कॉरिडोर

- भारत सरकार ने 22 नवंबर 2018 को औपचारिक रूप से पाकिस्तान सरकार को बताया कि वह भारत की ओर से करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत करेगी और पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान में गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक अपने क्षेत्र में उपयुक्त सुविधाओं के साथ एक गलियारा बनाने का आग्रह किया।
- 22 नवंबर 2018 को पाकिस्तान सरकार ने भारत के प्रस्ताव पर सहमति जताई। तीर्थयात्रियों की पवित्र गुरुद्वारा तक आसान और सुगम पहुंच की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए 24 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने के लिए तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2019 को गुरु नानक देव जी की 550 वीं जयंती के अवसर पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन किया और तीर्थयात्रियों के पहले समूह को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब को हरी झंडी दिखाई।
- करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय तीर्थयात्रियों के साथ-साथ भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों को भारत से पाकिस्तान में पवित्र गुरुद्वारे तक दैनिक आधार पर वीजा-मुक्त यात्रा प्रदान करता है।

आगे की संभावनाएं

- उज्बेकिस्तान के समरकंद में अगले महीने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भारत और पाकिस्तान केसंबंधों पर आठ वर्षों से जमी बर्फ पिघलाने का प्रयास शुरू

हो सकता है। इस बैठक में दोनों प्रधानमंत्रियों नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की संभावना है।

- पाकिस्तान लम्बे समय से भारत से बातचीत के प्रस्ताव का इंतजार कर रहा है, जबकि भारत लगातार कह रहा है कि आतंक के साथ बातचीत संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि एससीओ शिखर सम्मेलन 15-16 सितंबर को हो रहा है। इसमें भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाखस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिजस्तान सहित कुल 8 सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष भाग ले रहे हैं।

मुकुंद माधव शर्मा

YOJNA IAS